No

संख्या– 351 /26–ब0प्र0–2011–500(13)/98

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ

लखनऊ:दिनांक 15 अप्रैल, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना वृद्धावस्था/किसान पेंशन (जिला सेक्टर) में किये गये प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–43/स0क0/एन0एस0ए0पी0/2011–12, दिनांक 08.04.2011 के सन्दर्भ में तथा वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011,दिनांक 21.3.2011 में निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन (जिला सेक्टर) में किये गये बजट प्राविधान रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम छः माह के व्यय के लिए 50 प्रतिशत धनराशि रू0 30,00,00,000/–(रूपया तीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर ही किया जायेगा।
2. निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय के सापेक्ष ही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षों की स्वीकृत धनराशि अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

2. उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्यय में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–04–वृद्धावस्था/किसान पेंशन (जिला सेक्टर)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) की मद में की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011,दिनांक 21.3.2011 में निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या– 351 (1)/26–ब0प्र0–2011–500(13)/98–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
8. कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव

संख्या–351 वि0/26–ब0प्र0–2011–500(13)/98

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण, बजट प्रकोष्ठ

लखनऊ:दिनांक 15 अप्रैल, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर) में किये गये प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–43/स0क0/एन0एस0ए0पी0/2011–12, दिनांक 08.04.2011 के सन्दर्भ में तथा वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011,दिनांक 21.3.2011 में निर्गत दिशा–निर्देशों के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 में वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर) में किये गये बजट प्राविधान रू0 440.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम छः माह के व्यय के लिए 50 प्रतिशत धनराशि रू0 2,20,00,00,000/– (रूपया दो अरब बीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना हेतु व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों पर ही किया जायेगा।
2. निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय के सापेक्ष ही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षों की स्वीकृत धनराशि अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के लिए निर्धारित नियमावली/ स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

2. उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्यय में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–04–वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर)–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन) की मद में की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–901/दस–2011–231/2011,दिनांक 21.3.2011 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–351/37(1)/26–ब0प्र0–2011–500(13)/98–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
8. कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव